था, जिस प्रकार की वस्तु की सप्लाई का उसमें एग्रीमेंट था वह क्यों नहीं सप्लाई की गयी और बिना उसके इस गाड़ी को क्यों चलाया गया?

श्री नीतीश कुमार: हमने इसका बता दिया है। जहां तक उनके पहले पक्ष का सवाल है, मैंने खुद कहा है एयरकंडीशनिंग की समस्या उसमें थी। मैंने खुद भी यात्रा की है। उस दिन चूंकि बाहर का मौसम अपेक्षाकृत कम गर्म था इसलिए अंदर ज्यादा ठंडक हो गयी थी और हमने यात्रियों से भी पूछा। उनको ठंड लगी रही थी। तो.... (व्यवधान) हम एग्री कर रहे है आपकी बात को, हमने खुद ही कहा है। उसकी एयरकंडीशनिंग में भी प्रोब्लम है चूंकि उनका जो साफ्टवेयर है जिसके हिसाब से वे करते हैं उस हिसाब से बाहर के एटमोस्फियर से वह लिंक था। अब हम लोगों ने बताया कि इस देश में 22 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में आप अंदर का टेम्परेचर हर समय कायम रखें। इसके लिए आप व्यवस्था करें। उसने कहा इसके लिए हम साफ्टवेयर में इस हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जब हमने यात्रा की थी तो उसमें उस साफ्टवेयर के साथ उसके अपने इंजीनियर भी थे (-) चूंकि यह वांरटी पीरियड चल रहा है तो उनके अपने इंजीनियर भी उसमें यात्रा कर रहे थे। तो इन सब चीजों को उन्हें दुरुस्त करने के लिए कहा गया और जब ये दुरुस्त करेंगे तभी इनको चलाया जाएगा।

Revision of rules on concession to senior citizens

*82. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of aviodable inconvenience/ harassment and embarrassment that is caused to senior citizens with issued concessional railway tickets, while travelling by the railway ticket checking staff by demanding documentary proof of their age and penalising them if they fail to do so;

(b) if so, whether Government have issued any instructions in this regard and if so, the details thereof; and

(c) if not, whether Government propose to issue clear-cut instructions and rules in this regard by mentioning the documents like ration-card, voter's card, CGHS card and any other convenient document for carrying the same by senior citizens while travelling?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (c) As per extant rules, senior citizen concession is given across the counter and no proof of age is required at the time of purchasing ticket and that during journey, the senior citizens are required to carry and produce on demand some documentary proof showing their age or date of birth like Identity Card, Ration Card, Driving Licence, Passport, Educational Certificate, certificate from local bodies like Panchayats/Corporation/Municipality or any other authority or any recognised document. There is no harassment as such verification is necessary to avoid misuse of this facility and consequent leakage of revenue.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, this question has been put to the Minister after reading so many letters which have appeared in the National Dailies, and after witnessing a personal incident, while I was travelling from my native place to Hyderabad. Sir, as the Minister has just now informed, neither have any clear-cut instructions been given to the railway officers nor have they been published in the railway guide. So what I am trying to know from the hon. Railway Minister is that the proof of age can be asked, while the ticket is being issued, as is being done in the airlines. Now, the ticket is being issued without verifying the age, and while the senior citizen is travelling, they are demanding the proof of his age. This may be because of lack of knowledge or because of lack of instructions. The senior citizens, invariably, are not carrying the documentary evidence, that is, either the certificate issued by the local authorities or voters' card identification or something like that. So, I am trying to know from the hon. Minister whether this information can be displayed at each railway station so that the senior citizens are aware of it or whether any identification can be issued to the senior citizens and some such instructions are issued that while issuing the ticket itself, the proof of age can be demanded. That is one part of my question. The second part of my supplementary is, right now, 30 per cent is being given as concession, exclusive of reservation charges whereas, even in the airlines, it has been increased to 50 per cent. I would like to know whether the Minister will consider that proposal and increase it to 50 per cent, because, the senior citizens will travel, either for pilgrimage or for medical check up. Will the Minister consider increasing it from 30 per cent to 50 per cent?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, सीनियर सिटीजंस को वर्ष 1989-90 से कंसैशन दिया जा रहा है। पहले सैकंड क्लास में यह 25 परसेंट था और बाद में जब स्लीपर क्लास इंट्रोडयूस हुई तो उसमें इसको एक्सटेंड किया गया। पहले इसकी सुविधा 500 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करने पर थी,

लेकिन फिर इसको भी वेव कर दिया गया। इसके बाद पिछली बार हमने इसको बढ़ा करके 30 परसेंट किया और सभी ट्रेंज में सभी क्लासेज में तथा राजधानी शताब्दी में इसको अवेलेबल किया। फिर संभवत: इस साल से सीनियर सिटीजनशिप की इस फैसिलिटी को उपलब्ध कराने के लिए पुरुषों के लिए जो 65 वर्ष की आयु है, महिलाओं के लिए इसे 60 वर्ष कर दिया गया। यह जो कंसैशन दिया जाता है, कुल मिला करके अगर इसे देखा जाए और वर्ष 2000-2001 की फिगर को अगर हम लेते हैं तो इससे कम्प्यूटर टिकटों पर 113 करोड़ रुपये के करीब रेलवे को लॉस होता है और जितनी भी तरह के कंसेशन जो रेलवे में मिले हुए हैं, उन सब कंसेशंस को अगर हम एक साथ मिला दें तो उनमें सब से ज्यादा इसी कंसेशन का फायदा लोग उठाते हैं। पूरे कंसेशन को अगर हम 100 मान लें तो उसके हिसाब से उसके हिस्से के तौर पर 70 परसेंट हिस्सा सीनियर सिटीजंस का होता है।

जहां तक आपने यह कहा कि यात्रा में इनको कठिनाइयां होती हैं तो यह सिस्टम बहुत पहले से लागू है। टिकट या रिज़र्वेशन लेते वक्त उनसे किसी प्रकार के प्रूफ की मांग नहीं की जाती, लेकिन जब वे ट्रैवल करते हैं, तो यह प्रथा आज से नहीं बल्कि बहुत पुरानी, दस साल से भी ज्यादा पुरानी प्रथा है कि ट्रेन में उनको किसी न किसी प्रकार का प्रूफ अपने साथ रखना चाहिए ताकि मांगने पर उसे प्रस्तुत किया जा सके। अब माननीय सदस्य ने जब यह प्रश्न किया तो इस पूरे मामले को मैंने दोबारा देखा और हमने कमी को महसूस किया। बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस कंसेशन को नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहां जो फार्म बना हुआ है, उस में जैसे ही यात्री की एज लिखी जाती है, उस को सीनियर सीटीजन का लाभ मिल जाता है। अब हो सकता है कि वह इस सुविधा का लाभ न लेना चाहे और वह इस के लिए कोई प्रूफ लेकर न चल रहा हो और कहे कि हम को यह क्यों दिया। इसलिए इस के फॉर्म में परिवर्तन किया जा रहा है। रेलवे रिजर्वेशन का जो सॉफ्टवेयर पी.आर.एस. में बना हुआ है, उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा है क्योंकि प्रति माह लगभग 85 हजार लोग इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। तो कुल मिलाकर इस के फॉर्म में परिवर्तन किया जा रहा है।

अब रहा सवाल कि टिकिट लेते वक्त इस के लिए प्रूफ मांगने का कोई औचित्य नहीं है। सभापति जी, इस के लिए लोगों में और ज्यादा प्रचार किया जायेगा। अभी भी सर्टिफिकेट देने का अधिकार काफी लोगों को है। अभी पंचायत से लेकर म्युनिसिपल बाड़ीज का सर्टिफिकेट और राशन कार्ड, वोटर्स कार्ड या कोई और कार्ड प्रूफ के तौर पर यात्री मांगने पर दिखा दे कि उस की आयु क्या है। सभापति जी, मुझे इस बारे में हैरासमेंट की कोई शिकायत नहीं मिली है और जैसा मैंने पहले कहा फिगर्स के हिसाब से सब से ज्यादा फायदा सीनियर सिटीजंस ने उठाया है, लेकिन फिर भी हमारे सीनियर सिटीजंस को असुविधा न हो, इस संबंध में माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो मैं उस पर जरूर गौर करूंगा। इस प्रकार एक तो हम ने निर्णय लिया है कि इस के लिए फॉर्म में परिवर्तन किया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप यह सुविधा लेना चाहते हैं या नहीं और अगर लेना चाहते हैं तो फॉर्म में ही लिखा रहेगा कि आप को इस संबंध में प्रूफ लेकर यात्रा करनी होगी। इस के अलावा इस

बारे में नए सिरे से प्रचार किया जाएगा कि इस तरह की सुविधा लेने पर उन को अपने साथ इस संबंध में प्रूफ लेकर चलना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि इस सुविधा को और बढ़ाया जाये। सभापति जी, अभी 30 परसेंट की सुविधा तो रेलवे दे रही है और इसी साल इस को इम्प्रूव किया गया है जिस में पुरुषों के लिए इस सुविधा के लाभ के लिए आयु 65 साल और महिलाओं के लिए 60 साल रखी गयी है।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, my second supplementary is pertaining to the physically disabled and infirm persons. Now one person is being allowed to accompany them. The disabled person is allowed to travel in AC. The same facility is not allowed to his companion. When the poor people, the disabled people, have to go to toilet, their companions need to accompany them. May I ask of the hon. Minister as to why it has not been considered that the companion should also travel with the person who is enjoying this benefit?

श्री नीतीश कुमार: सर, यह तो एक मांग रही है और जब भी हम सुविधा देते हैं तो एक नई मांग आ जाती है। उसी में यह भी एक मांग है, लेकिन यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। हर साल रेलवे बजट के दौरान कुछ रियायतें या कुछ सहूलियतें दी जाती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरह की रियायतें और सहूलियतों को रेलवे बजट के समय के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि उस समय कुछ घोषणाएं होने से कुछ तालियां बजती हैं। अगर बीच में सुविधा या लाभ की घोषणा कर दी जाएगी तो रेल बजट के समय शायद कोई ताली न बजे।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: When he is enjoying the facility, he should enjoy it in full.

श्री संतोष बागड़ोदिया: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि 70 प्रतिशत सिटीजंस इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं तो उन की बातों से ऐसा लगा कि वह इस से खुश नहीं हैं। लेकिन आप जब उन्हें यह लाभ दे रहे हैं तो आप को खुश होना चाहिए।

दूसरी बात, जहां तक डिसएबल्ड पर्सन्स का सवाल है तो सीनियर सिटीजंस में ऐसे काफी लोग हैं जो उम्र के हिसाब से डिसएबल्ड हो जाते हैं और उन्हें स्टेशंस पर आने-जाने में काफी असुविधा होती है क्योंकि उन्हें वहां व्हील चेयर्स नहीं मिलती और उन को सीढ़ियों से आने-जाने में काफी असुविधा होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप ऐसे सीनियर सिटीजंस जो डिसएबल्ड हो जाते हैं और चल-फिर नहीं सकते, उन के लिए आप कुछ ऐसी सुविधा देंगे जिससे कि वे ट्रेन में सुविधाजनक ढंग से आ जा सकें?

श्री नीतीश कुमार: सभापति जी, माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा लगता है मैं सीनियर सिटीजंस को दी गयी इस सुविधा से खुश नहीं हूं। महोदय, मैं उन को स्मरण करा देना चाहता हूं कि

इस सुविधा का लाभ 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था और सभी श्रेणियों तथा राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में यह सुविधा मेरे ही कार्यकाल में प्रदान की गयी थी। इसलिए मेरे खुश न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। वह तो मेरा एक स्टेटमेंट था और सवाल यह था कि जो सीनियर सिटीजंस डिसएबल्ड हो जाते हैं उन के लिए स्टेशंस पर कोई सुविधा है जिस से कि वे ठीक से ट्रैवल कर सकें?

श्री नीतीश कुमार: डिसएबल्ड पर्सन्स के लिए कम्पेनियन ऐलाउड है, उनको इसकी सुविधा दी जाती है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: मैं कम्पेनियन की बात नहीं कर रहा, वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं, उन्हें चढ़ने-उतरने में असुविधा होती है, ऐसा रैम्प बनवाइए जिससे कि उन्हें स्टेअर्स पर चढ़ना न पड़े।

श्री नीतीश कुमार: यह बात ठीक है, इसकी व्यक्तिगत रूप से भी समीक्षा करूंगा। जो जानकारी रेलवे के द्वारा दी जाती है, उसमें है कि इस तरह की सुविधाएं रखी जाती हैं लेकिन उनको मेंटेन किस तरह से किया जा रहा है और मांगने पर वे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इसकी स्थिति की मैं पूरी समीक्षा करूंगा।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से बहुत ही संक्षिप्त प्रश्न पूछना चाहूंगी कि यहां जो हमें उत्तर मिला है, उसमें लिखा है कि 'यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को कोई दस्तावेजी प्रमाण अपने साथ लेकर चलना चाहिए'। मैं कहना चाहती हूं कि बहुत से ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि टी. टी. द्वारा बहुत ह्रास किए गए हैं। उन्होंने हमें शिकायत की कि ऐसी हमें कोई सूचना ही नहीं है कि इस प्रकार का प्रमाण-पत्र लेकर चलना चाहिए। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि क्या रियायती टिकट खिड़की पर वे इस तरह की कोई सूचना लगवा देंगे कि टिकट लेने के बाद उनको अपने साथ ऐसा कोई प्रमाण पत्र रखना चाहिए? एक अखबार में यह सूचना थी कि यह जो सुविधा है, आप इसे बंद करने जा रहे हैं, मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है, अगर है तो इस बारे में बताएं।

श्री नीतीश कुमार: माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है, इसका उल्लेख मैंने पहले ही किया है, इनके सुझाव को मैं स्वीकार करूंगा। इस प्रकार से इसका और ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए और यहां तक कि टिकट पर भी यह प्रिंट होना चाहिए कि इनको इस प्रकार का प्रमाण-पत्र अपने साथ लेकर चलना चाहिए। जहां तक उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि क्या यह सुविधा वापिस ली जा रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह आशंका निर्मूल है।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति जी, मैंने पिछले सत्र में भी मंत्री महोदय से यही शिकायत की थी कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जब वे ट्रेन में जाते हैं तो उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार

होता है, उनको उतार दिया जाता है और कई बार जहां से वे चढ़े हैं, उनसे पेनल्टी भी ली जाती है। मंत्री महोदय ने जवाब में कहा है कि यात्रा के दौरान पहचान-पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका के प्रमाण पत्र अगर उनके पास हों तो उन्हें ऐसी असुविधा नहीं होगी। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि हमारे कई नागरिक ऐसे हैं कि उनके पास राशन कार्ड नहीं होता है और उनके राशन कार्ड बनते भी नहीं हैं, ऐसी असुविधा उनके साथ होती है। दूसरे अगर वे सिविल हास्पिटल में अपनी उम्र का प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। तीसरा है कि आर्थिक रूप से जो निर्बल हैं, उनके पास भी यह सब कुछ नहीं होता है, ये प्रमाण-पत्र नहीं होते हैं, पासपोर्ट नहीं होता है और ऐसे में उनको बहुत असुविधा होती है। मंत्री महोदय आप बड़े दयालु हैं, इसलिए मेरा आपसे कहना यह है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर आप अलग से एक डिब्बे की व्यवस्था कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि 70 परसेंट लोग इसका लाभ उठा रहें हैं। अभी पिछली बार जब मैं आई तो मैंने देखा कि एक बहन, जो कि डिसएबल्ड थी, वह उतर नहीं पा रही थी, दो लोगों ने उसको उतारा, उसका सामान अंदर रह गया और गाड़ी चलने वाली थी, वह गिर गई और बाद में उसको हास्पिटल पहुंचाया गया। तो ऐसे जो वरिष्ठ नागरिक हैं क्या मंत्री जी उनके लिए अलग से एक डिब्बे की व्यवस्था कर पाएंगे?

श्री नीतिश कुमार: जहां तक पहचान का सवाल है, उसके लिए सिर्फ राशन कार्ड या पासपोर्ट या सिविल हास्पिटल का सर्टिफिकेट या पंचायत का, म्युनिसिपेलिटी का, किसी का एक सर्टिफिकेट रहना चाहिए। यह हर यात्रा के लिए उनको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं, वे एक बार प्राप्त कर लेंगे तो वह हमेशा उनके लिए काम कर सकता है। जहां तक उनके साथ होने वाली कठिनाइयों का सवाल है, तो उम्र के साथ कुछ कठिनाइयां तो स्वाभाविक तौर पर बढ़ती है। रेलवे ने यही ख्याल करके कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको यात्रा में कुछ सुविधा हो, इसलिए उनको यह सहूलियत और रियायत दी है। अब और उनको क्या रियायत दी जाए, इसके लिए अलग-अलग सुझाव हैं और उचित समय पर उन सभी सुझावों पर विचार करके कोई एक निर्णय लिया जा सकता है लेकिन सबके पीछे एक आर्थिक आधार होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि अभी कम्प्यूटर टिकटों पर 113 करोड़ रुपए की सहायता सीनियर सिटिजन्स को ट्रेवल कन्सैशन के माध्यम से दी जा रही है। तो इस प्रकार से यह सुविधा पहले ही हम दे रहे हैं। फिर इस सुविधा का इस्तेमाल वे किसी भी रेल यात्रा में, और कहीं से कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अलग से डिब्बे की व्यवस्था का कोई विचार अभी नहीं किया गया है।

SHRI V.V. RAGHAVAN: Mr. Chairman, Sir, after the tragic accident at Kadalundi a month ago, the rail traffic has not been restored till now. The worst affected people are the senior citizens of the State. Despite his keen interest and

taking action by visiting the State twice the work is not progressing as was anticipated. A very prominent engineer had said that even if the old bridge was repaired, it would to be safe for rail traffic. I would like to make a request to the hon. Minister. Will the hon. Minister direct the concerned authorities to complete the adjacent bridge as quickly as possible so that the trains could be diverted through the new bridge? This old bridge can be rebuilt for rail traffic as was suggested earlier. The Railway authorities had said that by 31st July it would be possible to resume traffic through the old bridge. But people doubt the safety of the old bridge. Will the hon. Minister examine this and direct the concerned authorities to complete the new bridge as quickly as possible.

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, हालांकि यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है लेकिन इस बारे में एक दूसरा प्रश्न आज लिस्टेड है। माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की है, मैं उसको समझ सकता हूं। यह ब्रिज जिस पर एक्सीडेंट हुआ है, जहां तक इसके रेस्टोरेशन का सवाल है, जो पीअर्स इसमें फंसे थे, उसके दोनों तरफ और पाइल फाउंडेशन करके एक तरह से नया पाइल बनाकर इसको चलाने की पूरी तैयारी हमने कर ली है लेकिन चूंकि चीफ-कमिश्नर आफ रेलवे सेफ्टी उसके बारे में आश्वस्त नहीं है, इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी पीअर्स हैं, उनके इर्द-गिर्द नए पाइल डालकर उस काम को हम पूरा कर लें और तब वहां पर ट्रैफिक रिस्टोर करें। इसलिए अब 31 जुलाई तक ट्रैफिक रिस्टोर करना संभव नहीं होगा, इसमें कुछ और समय लगेगा। इस तरह से यह जो पुराना ब्रिज है, यह पूरे तौर पर स्ट्रैथन हो जाएगा और इसके जितने पुराने पीअर्स हैं, इस तरह से उनका निर्माण किया जा रहा है कि उन पर कोई लोड नहीं आने वाला है। इनके चारों तरफ पाइल डालकर उनको खड़ा किया जा रहा है और उसके ऊपर गर्डर डाले जाएंगे।

सभापति महोदय, जहां तक उसके पैरलल डबल लाईन प्रोजेक्ट का सवाल है, उसके अंतर्गत पुल का निर्माण हो रहा है और उसको ऐक्सिपडाइट करने का निर्देश दिया जा चुका है। इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है उसका निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। न सिर्फ इस पुल का निर्माण किया जाएगा बल्कि जिस ब्रिज पर एक्सीडेंट हुआ, जिसको हम अभी और स्ट्रैथन कर रहे हैं, उसको भी रिप्लेस करके नया ब्रिज बनाया जाएगा।

श्री राजीव शुक्ल: सभापति महोदय, अभी सीनियर सिटीजन वाला सवाल चल रहा था जिसके बारे में मंत्री जी ने कहा कि इस पर 113 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, इसलिए बहुत सोचना पड़ता है। अभी तक यह सुनने में आ रहा है कि यह सुविधा सारे लोगों को प्राप्त है जिसकी वजह से तमाम संपन्न लोग, पैसे-वाले लोग भी जमकर इसका उपयोग कर रहे हैं। क्या मंत्री जी इस तरह का कोई क्राइटीरिया बनाएंगे कि इतना इनकम टैक्स देने वाले या इतनी आय वाले लोग इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते? ऐसा करने से आपका खर्च भी नहीं बढ़ेगा और जो कम आय वाले लोग हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा।

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर सरकार न विचार कर रही है और न ही इसका इंप्लीमेंटेशन करना किसी के लिए संभव है। यह सुविधा सीनियर सिटीजन को दी जा रही है और अब इसको ऑप्शनल किया जा रहा है। अभी तक हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा था, फार्म ऐसा था कि अगर किसी ने अपनी उम्र 65 या उसके अधिक लिख दी तो आटोमेटिकली उसको कंसेशन मिल जाता था। अब उस फार्म में लिखा रहेगा कि क्या आप यह सुविधा लेना चाहते हैं? अगर आप यह सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको ट्रैवल के दौरान अपनी ऐज के प्रूफ का कोई न कोई डाक्यूमेंट लेकर चलना होगा। इस प्रकार से जो अमीर लोग हैं, जिनको इसकी जरूरत नहीं है, वे खुद ही इस कंसेशन का लाभ नहीं लेंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं, वे इसका लाभ उठाएंगे। पहले ही रेलवे को सीनियर सिटीजन कंसेशन स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, दूसरी तरफ उनका क्या इनकम ग्रुप है, वे कितना टैक्स देते हैं, एक बुंकिंग क्लर्क के लिए इन सब बातों का वैरिफिकेशन करना कठिन कार्य है।

PROF. M. SANKARALINGAM: Mr. Chairman, Sir, regarding harrassment being experienced by senior citizens, the hon. Minister replied that they would be required to carry their identity cards while travelling. But that is not possible all the time. Hence, I request the hon. Minister to consider verifying the identity of the person, do the relevant verification at the time of issuing the ticket, rather than at the travelling stage, because they are all senior citizens and they may forget to carry their identity cards with them while travelling. So, can he think of a new experiment whereby a separate form can be issued and relevant documents as regards their age and identity could be shown to the ticket-issuing clerk at the time of issuing the ticket? Can the Department, under the instruction of the Railway Minister, examine this view and give direction to verify the record at the time of issuing the ticket, rather than at the travelling stage?

श्री नीतीश कुमार: सर, हमने पहले ही कहा है कि जो भी सुझाव यहां आ रहे हैं उन सबको हम एग्जामिन करेंगे ताकि उनकी परेशानी को कम से कम किया जाए।

कृषि क्षेत्र में विकास दर

*83. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':@**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा मौजूदा पूंजी-निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है;

@ सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।